


अपील सूचना का अधिकार संख्या 125/2016 मुकेश सोनी, मकान न0 79, गली न0  
10, इन्दिरा कोलोनी, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर



14.09.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकेश सोनी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी मुकेश सोनी ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए वह आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण को समाप्त करने की प्रार्थना की गई है।


पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी मुकेश सोनी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2016 से निम्न सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से चाही थी:-

- 1- माह जनवरी 2016 से जून 2016 तक शहरी व ग्रामीण उचित मूल्य दुकानदारों को दुकानवार गेहूं आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति।
- 2- मार्च 2016 से जून 2016 तक शहरी व ग्रामीण उचित मूल्य दुकानदारों को दुकानवार आवंटित अतिरिक्त गेहूं आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी मुकेश सोनी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे दिलवाई जावे।

चूंकि अपीलार्थी के आवेदन अनुसार उसे सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं और वह अपील पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पी.सी.किशन)  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

1638-39  
20-9-16